ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ा–पत्र संख्या :–23 / 2025
MS NO:- 2025/152

ायर दिनांक: 20.06.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

धापुबाई पत्नी फौरूलाल जाति मीणा नि0 लुहारपुरा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीया

बनाम

1. नन्दकंवर पत्नी कालूलाल जाति मीणा नि0 लुहारपुरा तहसील नैनवॉ। (अपीलाण्ट)
2. नूर बाई पत्नी मिश्रीलाल जाति मीणा नि0 लुहारपुरा तहसील नैनवॉ।
3. हजारीबाई पत्नी गोपाल जाति मीणा नि0 लुहारपुरा तहसील नैनवॉ।
4. भूनेधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ।

–पत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम लुहारपुरा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 23 के अनुसार खसरा नम्बर 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 व 317 कुल किता 9 कुल रकबा .0032 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि पर जाने के लिए प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 302, 303, 304, 305 मे चाहा गया था जिसमे सुनवाई की जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 28.11.2022 को निर्णय पारित कर खसरा नम्बरान 302, 303, 304 व 305 मे से रास्ता दिये जाने बाबत् आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 नन्दकंवर द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा मे अपील संख्या 2023/164 पेश की जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.5.2024 द्वारा निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2022 को निरस्त कर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नवीन निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 17.5.2024 की पालना मे पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट व अप्रार्थी संख्या 4 को जारिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीया धापुबाई की ओर से पूर्व वकालातनामा अनुसार अधिवक्ता श्री राजेन्द सिंह सौलंकी उपस्थित रहे।

आज दिनांक 31.07.2025 को प्राथना पत्र व सलग्न दस्तावेजो का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 व 317 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ